आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3

Board of Revenue, Bihar, Patna

Service Appeal Case No.- 41 of 2017

Dist.:-Patna

PRESENT :- Sunil Kumar Singh, I.A.S.,
Chairman-Cum-Member.

Shree Pramod Kunwar - Petitioner/ Appellant

Versus

The State of Bihar - Respondent/ Opp. Party

Appearance :

For the Petitioner : Sri Nikunj Shekhar, Advocate.
For the OP :

ORDER

04.07.2018

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। राजभाषा पदाधिकारी उपस्थित। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस मामले से संबंधित दर्ज प्राथमिकी के संदर्भ में पुलिस उपाधीक्षक, विधि व्यवस्था, पटना का प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया गया जिसमें स्पष्ट है कि श्री प्रमोद कुँवर कार्यवाह सहायक की संलिप्तता प्रतीत नहीं होती है। अतः अपीलार्थी का इसमें कोई दोष नहीं है। अभिलेख में रक्षित जाँच प्रतिवेदन का परीक्षण किया। जाँच प्रतिवेदन में मामले का ना ही विस्तार से जिक्र किया गया ना स्पष्ट प्रतिवेदन दिया गया है, जबकि पुलिस उपाधीक्षक, विधि व्यवस्था के प्रतिवेदन में विस्तार से मामले का जिक्र किया गया है, जिसमें प्रमोद कुँवर की संलिप्तता नहीं हाने का जिक्र किया गया है। जाँच प्रतिवेदन एवं पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था के जाँच प्रतिवेदन में भिन्नता है। दोनो प्रतिवेदन में भिन्नता के आलोक में इस वाद को राजभाषा विभाग को Remand किया जाता है कि इस मामले में विधि सम्मत आदेश पारित करें।

(सुनिल कुमार सिंह)
अध्यक्ष–सह–सदस्य,
राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।